



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 285 राँची, बुधवार,

15 जून, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

15 जून, 2022

अधि.सं.-8/गठन/107/2017/न.वि.आ./2022--विभागीय अधिसूचना संख्या-2115, दिनांक-27.04.2018 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत-बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी को मिलाकर विधिवत बचरा नगर पंचायत का गठन किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2824 दिनांक-31.05.2018 द्वारा मानक जनसंख्या के आधार पर 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन किया गया है।

- कालान्तर में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, माननीय विधायक एवं क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों से बचरा नगर पंचायत के गठन के संबंध में यह आपत्ति प्राप्त हुई है कि पंचायत क्षेत्र में शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का है। अधिकांश जनसंख्या निर्धन तथा कृषि कार्य पर निर्भर है। फलस्वरूप नगर पंचायत के गठन होने पर जनता पर कर का बोझ बढ़ जाएगा।
- उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-2407/गो० दिनांक-20.09.2021 द्वारा जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के सभी आवेदनों की समीक्षा के उपरान्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

4. उक्त प्रतिवेदन पर उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की मांग की गयी थी। उपायुक्त, चतरा द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-289/गो० दिनांक 22.03.2022 द्वारा बचरा नगर पंचायत के विघटन की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा पर कार्यपालक पदाधिकारी, बचरा नगर पंचायत के पत्रांक-40 दिनांक 29.03.2022 के माध्यम से सहमति व्यक्त की गयी है।
5. उपर्युक्त के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत-बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी को मिलाकर अधिसूचना संख्या-2824, दिनांक-31.05.2018 द्वारा गठित बचरा नगर पंचायत को विघटित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर बचरा नगर पंचायत के विघटन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के अधीन उपायुक्त, चतरा द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत-बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी को मिलाकर अधिसूचना संख्या-2824, दिनांक-31.05.2018 द्वारा गठित बचरा नगर पंचायत को विघटित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
